

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 6 ()2022/कार्मिक-विविध/प्रमुवसं 07915-पार्ट-6

निमित्त,

समस्त वनाधिकारीगण।

विषय : आवश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्त पशु चिकित्सा अधिकारियों को देय नियत पारिश्रमिक भुगतान बाबत।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन उप सचिव वन ने आदेश क्रमांक प. 12 (1)वन/2018-01204 दिनांक 08.10.2024 द्वारा आवश्यक अस्थाई आधार चयनित पशु चिकित्सा अधिकारियों को राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 के तहत पशु चिकित्सा अधिकारी पद की वेतन श्रृंखला पे-मेट्रिक्स एल-14 की प्रथम सेल की राशि रुपये 56100/- (अक्षरे छप्पन हजार एक सौ रुपये मात्र) प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः शासन उप सचिव वन के उक्त संलग्न आदेश के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उक्तानुसार

भवदीया,

(शिखा मेहरा)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 6 ()2022/कार्मिक-विविध/प्रमुवसं 07915-पार्ट-6

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय हाजा को विभागीय वेब साईट पर प्रकाशन हेतु।

(बृज मोहन गुप्ता)

उप वन संरक्षक (अराजपत्रित)
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय का पता- कमरा नं. ए-402 अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

फोन नं. 0141-2713810 Email id dcfnz.estt.forest@rajasthan.gov.inवेब साईट www.forest.rajasthan.gov.in

Document certified by Shikha Mehra
<shikhamehraifs@gmail.com>.

Digitally Signed by Shikha Mehra
Designation: Principal Chief
Conservator Of Forest
Date :14-10-2024 02:50:57

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 12(1)वन/2018-01204

जयपुर, दिनांक:

आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक F. 1(5)FD/Rules/2014 दिनांक 03.07.2023 में उल्लेखित शर्तों के अध्याधीन वन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पद के विरुद्ध आवश्यक अस्थायी आधार (UTB) पर नियत पारिश्रमिक पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारियों को राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 के तहत पशु चिकित्सा अधिकारी पद की वेतन श्रृंखला पे-मैट्रिक्स एल-14 की प्रथम सेल की राशि रू0 56100/- (अक्षरे छप्पन हजार एक सौ रूपये मात्र) प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक भुगतान किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार योगी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, वन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)।
4. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव


10/10/24

RajKaj Ref
10960376



Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok Kumar Yogi
Designation : Deputy Secretary To
Government
Date: 2024.10.08 15:40:01 IST
Reason: Approved